

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): रायपुर

P.S. (थाना): राखी

Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0060

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 29/03/2023 21:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	419
2	भा दं सं 1860	469

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): बुधवार

Date From (दिनांक से): 29/03/2023

Date To (दिनांक तक): 29/03/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 6

Time From (समय से): 18:27 बजे

Time To (समय तक): 18:27 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 29/03/2023

Time (समय): 21:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003

Date & Time (दिनांक और समय): 29/03/2023 21:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 02 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मनोज कुमार श्रीवास्तव

(b) Father's Name (पिता का नाम):

स्व. बी.एम. श्रीवास्तव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1962

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, राखी, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, राखी, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): नौकरीपेशा

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8770147355

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना राखी में थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 29.03-2023 को छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर में पदस्थ अवर सचिव महोदय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव थाना उपस्थित आकर अपने कार्यालय के एक शिकायत पत्र क्रमांक/1388 /2023/दो-गृह/रा.पु.से रायपुर, दिनांक 29.03.2023 प्रस्तुत किया जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुझ (प्रार्थी)अवर सचिव के नाम व पदनाम का उल्लेख कर फर्जी दस्तावेज कूटरचित कर सोशल मिडिया में वायरल कर मेरी एवं गृह (पुलिस) विभाग की छबि धूमिल करने वाले के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने उल्लेखित है कि प्राप्त शिकायत के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी द्वारा धारा 419, 469 भादवि का दण्डनीय अपराध करना पाये जाने से अपराध सदर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया प्राप्त शिकायत आवेदन की नकल जैल है छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर क्रमांक/1388/2023/दो-गृह/रा.पु.से रायपुर, दिनांक 29.03.2023 प्रति, थाना प्रभारी थाना राखी जिला रायपुर छ.ग. विषय अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुझ अवर सचिव के नाम व पदनाम का उल्लेख कर फर्जी दस्तावेज कूटरचित कर सोशल मिडिया में वायरल कर मेरी छबि धूमिल करने वाले के विरुद्ध एफ.

आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के सम्बंध में। विषयांतर्गत लेख है कि मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव मंत्रालय महानदी भवन छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग में अवर सचिव के पद पर पिछले जून 2020 से कार्यरत हूँ। आज दिनांक 29.03.2023 के सायं करीब 06:27 बजे मुझे गृह विभाग के सचिव महोदय के जरिये सोशल मिडिया मोबाईल व्हाट्सअप में वायरल हो रहे, एक फर्जी पत्र जो समस्त पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़ को सम्बोधित, विषय कश्मिरी पंडित की तरह पलायन किये कान्यकुंज, सरयुपांरिण या अन्य पुजारी ब्राह्मण जो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक मंदिरों में अनाधिकृत कब्जा कर छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र बनाने, अंधविश्वास फैलाने वाले कान्यकुंज, सरयुपांरिण या अन्य पुजारी पर राजदोह का मामला दर्ज कर कार्यवाही करने बाबत। छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर से जारी एक प.क्र./एफ2-44/दो-गृह/रा.पु.से./2022/ नया रायपुर दिनांक 16.03.2023 की प्रति मेरे मोबाईल नम्बर 8770147355 मे प्राप्त हुई जिसमे उक्त पत्र के अंत मे मेरा नाम व पदनाम लिखकर फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त कूटरचित व फर्जी पत्र तैयार किया गया और सोशल मिडिया/व्हाट्सअप के माध्यम से लोगो के बीच वायरल किया जा रहा है जिससे मेरी तथा गृह विभाग की छवि धूमिल हो रही है। उक्त पत्र मेरे या गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छल पूर्वक मुझे व विभाग को बदनाम करने की नियत से कूटरचित कर तैयार किया गया है। अतः उक्तांकित फर्जी पत्र तैयार कर मुझे व गृह विभाग को बदनाम करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धारों के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आरोपी के पतासाजी कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न विषयांकित कूटरचित पत्र 01 प्रति। हस्ताक्षर अस्पष्ट मनोज कुमार श्रीवास्तव अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय महानदी भवन ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: LAXMI PRASAD JAISWAL (I
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) : or (Inspector)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

Rank (पद):

No.(सं.):

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

WMS 29/3/23

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):
15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना-राखी के अधिकारी)

Name (नाम): LAXMI PRASAD JAISWAL
थाना-राखी
नया रायपुर ज-रायपुर (छ.ग.)

Rank(पद): 1 (Inspector)

No.(सं.):